

Fax/Speed Post

Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :- 17-आवंटन (स्था० -०००१)-१४०/२०१७.....

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा०प्र०स००
 निदेशक,
 भू-अभिलेख एवं परिमाप,
 बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक
 बिहार सर्वेक्षण कार्यालय,
 गुलजारबाग, पटना'७

पटना, दिनांक :

विषय :-

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व - उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 103 -
 भू-अभिलेख - उप शीर्ष - 0001 - भू-अभिलेख स्थापना (मांग संख्या-40) के अन्तर्गत
 वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकलनीय है तथा इसका विपत्र कोड 40-2029001030001 है।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में ईकाई कोड 21 01 सामग्री एवं पूर्तियां मद में किए गए व्यय की प्रतिपूर्तियां हेतु 15,00,000.00/= (पन्द्रह लाख) रूपये मात्र का आवंटन निर्गत किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998, राज्यादेश संख्या 1184 दिनांक 03.07.2015 एवं राज्यादेश संख्या 688 दिनांक 19.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/ईकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001030001 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवीं तारीख तक एंव त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

6. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।

10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्यक्ति अवश्य अंकित की जाय।

✓

11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छदमपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

पटना, दिनांक

ज्ञापांक :— 17—आवंटन (स्था0 -0001) -140 / 2017.....

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिगाप

पटना, दिनांक

ज्ञापांक :— 17—आवंटन (स्था0 -0001) -140 / 2017.....

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, उप कोषागार, पटना सिटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

पटना, दिनांक

ज्ञापांक :— 17—आवंटन (स्था0 -0001) -140 / 2017.....

प्रतिलिपि :— प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

पटना, दिनांक 6/6/2017

ज्ञापांक :— 17—आवंटन (स्था0 -0001) -140 / 2017.06

प्रतिलिपि :— आइ0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटनी एवं श्री संतोष कुमार, लेखापाल, बी0पी0एम0य० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/6/2017

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप